UPKN010030032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

उपस्थितः अनमोल पाल, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 996/2026

लालजी सविता पुत्र गया सिंह उम्र लगभग 74 वर्ष निवासी प्लॉट नं0 90ए आनन्द नगर, रावतपुर गॉव, थाना रावतपुर, कानपुर नगर।

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी

मु0अ0सं0–284/2025
एस0टी0नं0–59/2026
धारा–85,80(2),115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–रावतपुर, कानपुर नगर

30.03.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त लालजी सविता की ओर से मु0अ0सं0 284/2025, धारा–85, 80(2), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रावतपुर, कानपुर नगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षिप्त में अभियोजन कथान के अनुसार वादी मुकदमा कन्हैयालाल शर्मा द्वारा तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि उसकी पुत्री गुडिया सविता का विवाह दिनांक 17.10.2024 को श्रीकान्त सविता से हुआ था। पुत्री के विवाह के कुछ दिन बाद ही उसके पति श्रीकान्त सविता ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने बाप से उसे एक मोटरसाइकिल व 25,000/–रू0 नगद दिला दो। लड़की की बाप ने नहीं कहा और कहा कि अभी नहीं है इन्तजाम करेगें तो दे देगें। कुछ दिन बीतने के बाद श्रीकान्त सविता ने वादी की पुत्री को प्रताड़ित करना प्रारम्भ कर दिया तथा उसके साथ मारपीट करने लगा। उसकी पुत्री ने उससे बताया कि उसके साथ उपरोक्त घटनायें ससुराल वाले कर रहे हैं। वादी अपनी पुत्री से मिलने ससुराल गया तो लड़के की मॉ, वादी को कसके चिल्लाकर कहा कि वह उसकी बेटी को कच्चा चबा जायेगी व भद्दी–भद्दी पुत्री की मॉ व पिता को गालियॉ देना शुरू कर दिया। इस तरीके से कुछ दिन बीतने के बाद बात आयी गयी हो गयी। उसी बीच श्रीकान्त सविता, गुडिया सविता को उसकी बहन के घर ले जाता है किसी प्रोग्राम के बहाने जहॉ पर गुडिया सविता की बहन सुधा सविता उपस्थित नहीं थी व सुधा सविता का पति घर पर मिलता है व अपनी बीमारी का बहाना बनाकर लेटा रहता है तभी श्रीकान्त सविता किसी काम के लिए अपनी पत्नी को सुधा सविता के घर छोड़कर चला जाता है। एक दिन बीतने के

पश्चात दूसरे दिन सुधा सविता का पति गुड़िया सविता को घर में अकेले पाकर उसका मुॅह दबाकर उसका बलात्कार करता है जिससे जब श्रीकान्त सविता अपने बहनोई के घर आता है तो गुड़िया सविता उसको यह घटना बताती है तो श्रीकान्त सविता गुडिया सविता की बात को साफ इन्कार करते हुए उसे मुंगरी से मारता था जिससे गुड़िया सविता के शरीर पर चोटों के निशान थे और कपड़े फटे थे और कहता है कि तू मेरे बहनाई पर अपलक्ष लगा रही है, कहकर मारता हुआ उसको कमरे में लेकर चला जाता है। दूसरे दिन दिनांक 19.04.2025 को कानपुर आकर अपने पिता कन्हैयालाल सविता को गुडिया पूरी जानकारी देता है तब लड़का कहता है कि अगर इस विषय में तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कोई बात की तो मैं तुम्हे जान से मार डालूॅगा। दिनांक 14.06.2025 को गुडिया सविता की अचानक मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम में कोई गंभीर बीमारी नहीं निकली है। पोस्टमार्टम के पहले गुड़िया सविता का पूरा चेहरा जला हुआ लगता है और जीभ जलने के कारण मुॅह से बाहर आ जाती है जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हो पायी है जिस कारण अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है, उसको किसी बात का डर व भय नहीं है।

3. वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण पति श्रीकान्त सविता, श्रीकान्त सविता की मॉ, श्रीकान्त के जीजा नाम, पता अज्ञात व अन्य ससुराल वाले के विरूद्ध मु0अ0सं0–284/2025 धारा–85, 80(2), 64(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ।

4. अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि उसे झूॅठा फंसाया गया है, वह मृतका का ससुर है तथा उसके द्वारा कोई भी दहेज की मॉग नहीं की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप लगाये गये है व अन्य सह अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये है। विवेचना के दौरान अभियुक्त के विरूद्ध धारा–64(1) बी0एन0एस0 का अपराध नहीं पाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा–85, 80(2), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 18–19 दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच विचार कर दर्ज करायी गयी है। फौती सूचना एवं पंचायतनामा के अनुसार मृतका की मृत्यु बुखार के कारण हुई है जिस कारण लगाये गये आरोप सन्देहास्पद हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट झूॅठे तथ्यों पर आधारित है। अभियोजन कथानक सीधे व विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित नहीं है। साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है तथा अभियुक्त द्वारा कोई दहेज की मॉग नहीं की गयी है। पंचायतनामा मृत्यु के तुरन्त बाद हुआ है जिसमें पंचानो में वादी व उसके पुत्र धर्मेन्द्र शर्मा द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण बुखार होना कथित किया गया है। मेडिकोलीगल रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। धारा 80 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत यह साबित करना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है, मत्यु अप्राकृतिक है तथा मृतका के पति व रिश्तेदार द्वारा उत्पीड़न/प्रताड़ना करते हुए अवैधानिक दहेज की मॉग मृत्यु के ठीक पूर्व की गयी हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार

मोटरसाइकिल व 25,000/—रू0 नगद की मॉग विवाह के उपरान्त किये जाने का कथन है जो कि मृतका की मृत्यु दिनांक 14.06.2025 से 08 माह पूर्व की है। अभियुक्त की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चरन सिंह उर्फ चरनजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य (2024) 13 एस0सी0सी0 649, कहकशां कौसर उर्फ सोनक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2022)6 एस0सी0सी0 599, संजय चन्द्र बनाम सी0बी0आई0 (2012)1 एस0सी0सी0 40, सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2011)1 एस0सी0सी0 694 अभिनिर्धारित सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के आवश्यक तत्वों का लोप है। अभियुक्त कानून का पालन करने वाला वरिष्ठ नागरिक है जिसकी उम्र लगभग 74 वर्ष है तथा उम्र से संबंधित विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। अभियुक्त स्थायी निवासी है तथा साक्ष्यों के साथ छेडछाड़ करने की संभावना नहीं है। अभियुक्त पूर्व में किसी भी केस में सजायाफ्ता नहीं है तथा वह दिनांक 25.10.2025 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत स्वीकार की जाये।

5. राज्य के विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा की पुत्री गुडिया सविता का विवाह दिनांक 17.10.2024 को सह अभियुक्त श्रीकान्त सविता के साथ हुआ था। विवाह के उपरान्त से ही अभियुक्त व सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री से दहेज में मोटरसाइकिल व 25,000/—रू0 नकद की मॉग की गयी तथा दहेज की मॉग को लेकर मृतका को मारापीटा गया व प्रताड़ित किया गया तथा दिनांक 14.06.2025 को उसकी दहेज हत्या कारित की गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है तथा हार्ट विशेषज्ञ राय हेतु संरक्षित किया गया है। विवेचक ने अपनी विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किया है। अभियुक्त मृतका का ससुर है। मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर अभियुक्त के घर में हुई है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। प्रकरण दहेज हत्या से संबंधित है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एस0सी0सी0 21** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर न्यायालय को विचार करना चाहिए—
   1. क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अथवा युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है।
   2. आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता।
   3. दोषसिद्धि की दशा मे दण्डादेश की कठोरता।
   4. जमानत प्रदान किये जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय।

5. अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति।
6. अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना।
7. साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय।
8. जमानत स्वीकार किये जाने की दशा मे न्यायहित समाप्त होने का भय।
9. अपराधिक इतिहास।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि वह मृतका का ससुर है, उसने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व 25,000/—रू0 नकद की मॉग की गयी तथा दहेज की मॉग को लेकर मृतका को मारापीटा गया व प्रताड़ित किया गया तथा दिनांक 14.06.2025 को उसकी दहेज हत्या कारित की गयी।
9. पोस्टमार्टम आख्या के अनुसार मृतका की मृत्यु का निश्चित कारण पता न चलने पर विसरा सुरक्षित किया गया।
10. दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं। वादी मुकदमा ने अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया है।
11. केस डायरी के पर्चा सं0—8 में साक्षी निर्मला द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि लालजी सविता उसके मकान में लगभग 10—12 वर्ष से किराये पर रह रहे है जो वर्तमान समय में 1000/—रू0 किराया देकर रहते हैं। लालजी सविता व उनकी पत्नी कमला देवी काफी बुजुर्ग हैं तथा बहुत कमजोर हैं, बीमार रहते हैं। इनके पुत्र श्रीकान्त सविता की शादी 17.10.2024 को गुडिया सविता के साथ हुई थी। गुडिया सविता शादी के बाद से लगातार अपनी ससुराल/किराये कें मकान में ही रह रही थी। वह काफी दिन से बीमार थी, बहुत कमजोर हो गयी थी। दिनांक 14.06.2025 को गुडिया सविता को काफी तेज बुखार आ रहा था। श्रीकान्त सविता ने उसे मेडिकल से लाकर दवाइयॉ दी थी जिसके कुछ समय बाद श्रीकान्त सविता व उसके माता—पिता द्वारा गुड़िया को कमरे से बाहर लिटाया था। वह व उसके पति भी आ गये थे। उसने कहा था कि चलो हम दिखा कर लाते हैं लेकिन कुछ देर बाद गुड़िया सविता की मृत्यु हो गयी थी, ये लोग काफी परेशान हो गये थे। गुड़िया सविता की मृत्यु की सूचना उसने गुड़िया सविता के पिता कन्हैयालाल शर्मा को दी थी जिसके बाद कन्हैयालाल शर्मा का बेटा धर्मेन्द्र व अन्य परिवारीजन मौके पर आ गये थे जिसके बाद कन्हैयालाल के बेटे द्वारा थाना रावतपुर में गुड़िया सविता की तेज बुखार आने के कारण मृत्यु हो जाने से संबंधित लिखित सूचना दी थी, मौके पर पुलिस आ गयी थी तथा गुड़िया के शव को ले जाया गया था।
12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त जो कि मृतका का रिश्ते में ससुर है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका है तथा विसरा सुरक्षित किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 25.10.2025 से कारागार में निरूद्ध है।
13. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के

गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

14. आवेदक/अभियुक्त लालजी सविता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 60,000/–(साठ हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
15. आदेश की एक प्रति मूल पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।
16. आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software मे करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 30.03.2026
मनोज

Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.03.30 16:31:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court